सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024/10(22/24) दर्ज तिथिः—08.01.2024

1. भूराराम पुत्र अन्नाराम
   जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनादेवी पत्नी विरधाराम फौत के वारिसान
   1/1 मांगीलाल पुत्र विरधाराम
   1/2 पांचाराम पुत्र विरधाराम
   1/3 जयकिशन पुत्र विरधाराम
   जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
2. मैनेजर आई डी बी आई बैंक शाखा बाड़मेर
3. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री हरीश चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री जगदीश कड़वासरा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—23.05.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया है कि:—
   - कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 259/9/2.9137 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:09 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थी द्वारा हाल आराजी खसरा संख्या 259 / 9 / 2.9137 है0 मौजा आलपुरा मूल खसरा संख्या 259 / 6 / 20.00 बीघा के खातेदार खूमलता पत्नी अशोकसिंह कौम रावणा राजपूत से जरीये पंजीकृत बयनामा क्रय की गई थी। उक्त क्रयशुदा आराजी का नामांतरकरण संख्या 1382 / 21.07.2014 ग्राम आलपुरा प्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया।
- कि नामांतरकरण संख्या 1382 / 21.07.2014 की पुश्त पर मूल खसरे का विभाजन अंकित किया जाकर नक्शा दर्शित किया गया है। प्रार्थी नामांतरकरण संख्या 1382 / 21.07.2014 की पुश्त पर बने नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा नामांतरकरण संख्या 1382 / 21.07.2014 की पुश्त पर अंकित नक्शे के विपरीत वर्तमान राजस्व नक्शा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की तरमीम कर दी। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।
- कि असल में प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 / 2 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 / 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

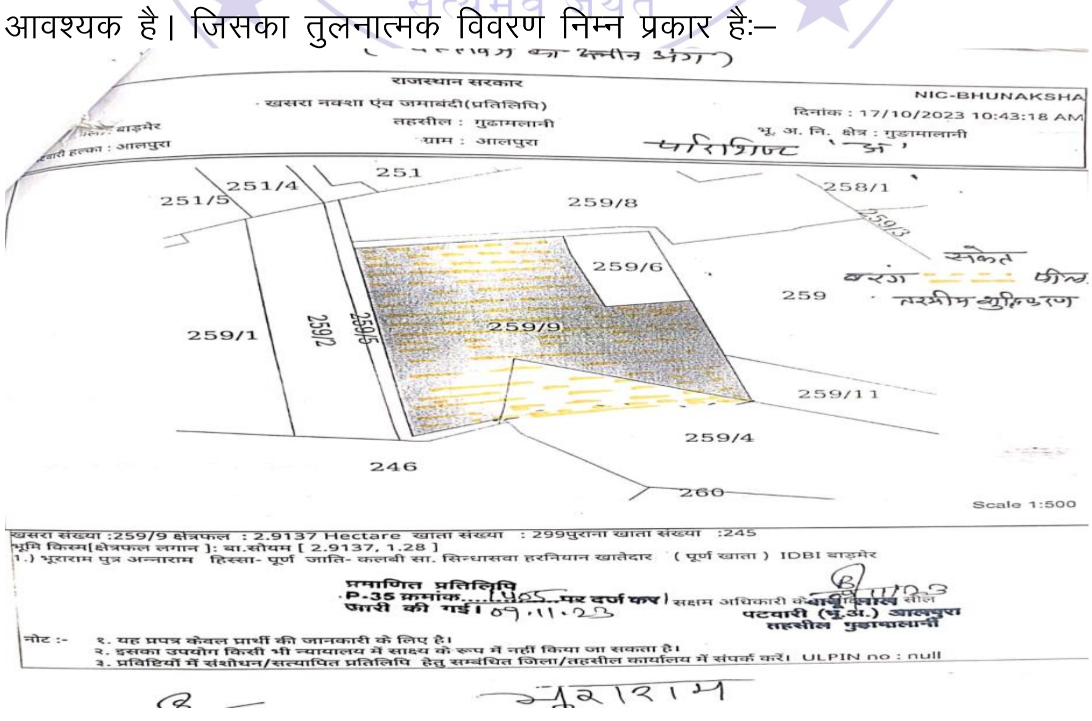

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:09 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 80 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 80 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

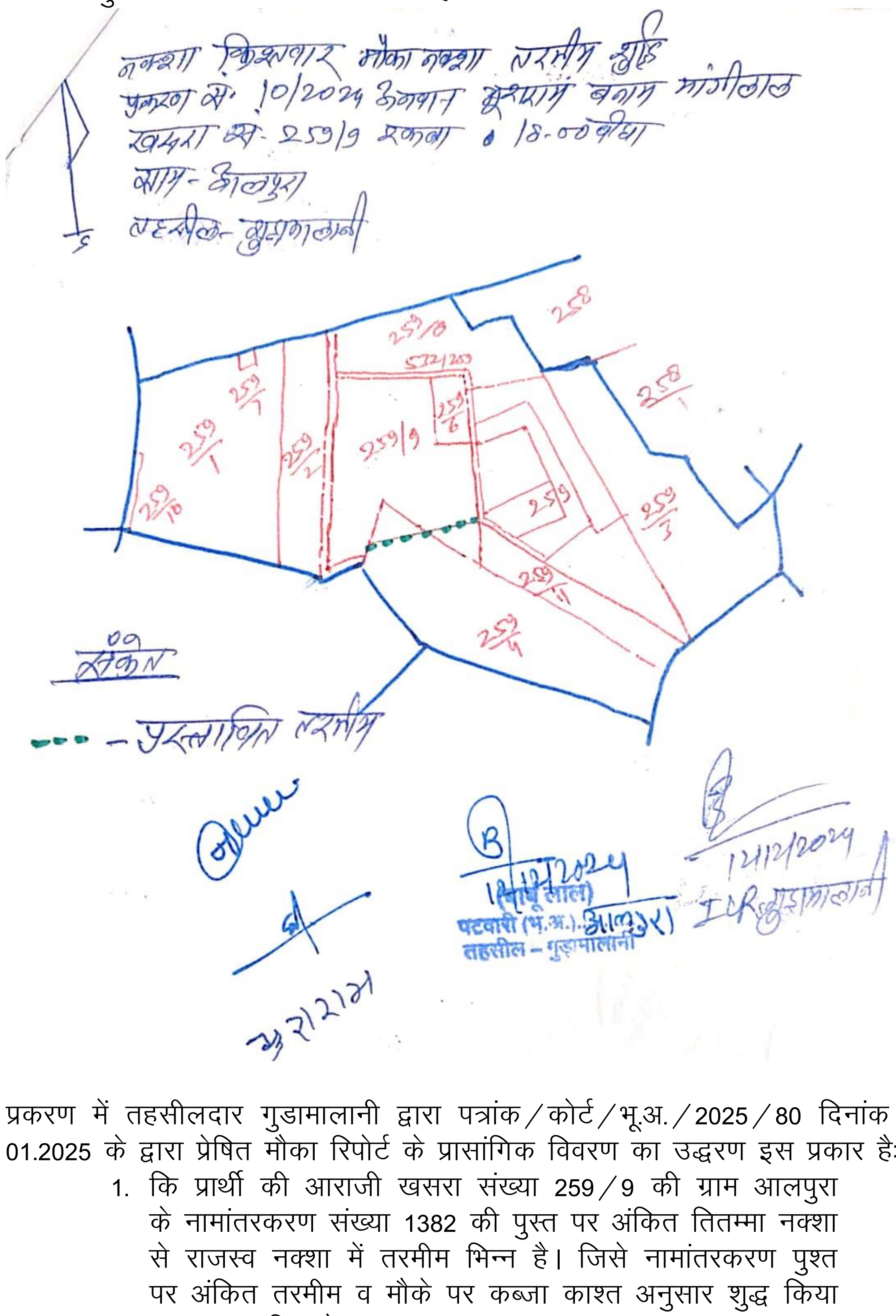

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 80 दिनांक 09. 01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
    1. कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 259 / 9 की ग्राम आलपुरा के नामांतरकरण संख्या 1382 की पुस्त पर अंकित तितम्मा नक्शा से राजस्व नक्शा में तरमीम भिन्न है। जिसे नामांतरकरण पुश्त पर अंकित तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:09 IST
Reason: SelfAttested

2. कि प्रार्थी की खसरा संख्या 259 / 9 की भूमि नामांतरकरण संख्या 1382 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त किया जाकर फसल बुवाई की जा रही है।
3. कि प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि की तरमीम प्रार्थी के वास्तविक कब्जा काश्त एवं नामांतरकरण में दर्शाये नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।
4. कि प्रार्थी की उक्त आराजी वक्त सेटलमेंट के मूल खसरा संख्या 259 में बेचान एवं विभाजन से खसरे की तरमीम राजस्व नक्शा में की गई है। जो कि बेचान दस्तावेज के आधार पर की गई है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 80 दिनांक 09. 01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 259 / 9 मौजा आलपुरा का वर्तमान राजस्व नक्शा में अंकन नामांतरकरण संख्या 1382 की पुश्त पर अंकित नक्शा से भिन्न है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 80 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 80 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/कोर्ट/भू.अ./2025/80 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.13 19:10:09 IST
Reason: SelfAttested